

# निरीक्षण प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : रहिका

निरीक्षण की तिथि : 24-11-2002

डा० बी० राजेन्दर

भा० प्र० से०

जिला पदाधिकारी,

मधुबनी



डा० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 24-11-2002 को रहिका थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी।

1- परिचय :-

रहिका थाना की स्थापना वर्ष 1977 में मधुबनी नगर थाना से पृथक होकर, सहायक थाना के रूप में किया गया है। यह थाना जिला मुख्यालय से लगभग 9 कि०मी० की दूरी पर पश्चिम में मधुबनी अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है। इस थाना का क्षेत्रफल अनुमानतः 25, 800 एकड़ तथा जनसंख्या अनुमानतः एक लाख है। थाना से उत्तर 1/2 कि०मी० की दूरी पर प्रखंड स्वं अंचल कार्यालय स्थित हैं। थाना से उत्तर 1/2 कि०मी० की दूरी पर रहिका मुख्य चौराहा इंताफ चौक है, जहाँ से दरभंगा, जयनगर, बेनीपट्टी तथा कलुआही थाना तथा दक्षिण में दरभंगा जिला का रैयाम स्वं केवटी थाना स्वं पूरब दिशा में नगर थाना मधुबनी और पश्चिम में विस्फी तथा अरेर थाना अवस्थित है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना के अन्तर्गत कोई पिसेट नहीं है। थाना सुरक्षित बल से ही अपराध स्वं विधि-व्यवस्था संबंधी कार्य लया जाता है।

निरीक्षण के समय आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय, मधुबनी स्वं आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी उपस्थित थे। आरक्षी उपाधीक्षक मुख्यालय, मधुबनी ने बताया कि सहायक थाना होने के कारण एफ०आई०आर० नगर थाना, मधुबनी में ही होता है।

2- भवन :-

इस थाना का अपना कोई भवन नहीं है। वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग के भवन में 500/- पाँच सौ रुपये प्रति माह की दर से किराए पर चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि विगत तीन माह से भाड़ा का भुगतान भी नहीं किया जा सका है। थाना भवन का निरीक्षण किया गया। इस भवन में पदाधिकारियों स्वं आरक्षियों को रहने हेतु आवात स्वं बैरव नहीं है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना भवन के लिए स्थल का चयन नहीं हुआ है। थाना भवन में मुख्य रूप से चार कमरा स्वं एक छोटा काम चलाऊ हाजत है। इस थाना का क्षेत्र करीब 1/2 एकड़ में अवस्थित है जितका तीमांकन नहीं कराया गया है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, रहिका से सम्पर्क स्थापित कर इसका तीमांकन कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी, रहिका को निर्देश दिया जाता है कि थाना भवन हेतु जमीन का अधिग्रहण हेतु जॉचोपरान्त प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

लगातार.... 2/-



श्री आनन्द खिहारी, 30 फिनो गवनिक 11-08-2002 से थाना- प्रभार के रूप में कार्यरत हैं। इनके पूर्व श्री श्रीकान्त कुमार, अवर निरीक्षक, थाना प्रभार के रूप में कार्यरत थे। थाना प्रभारियों के पदस्थापन सूची का बोर्ड बना हुआ है एवं दीवाल पर टंगा हुआ भी है। निरीक्षा हेतु प्रस्तुत प्रतियोगिता के अनुसार वर्ष 1988 से इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार थाना प्रभारियों का नाम एवं अवधि तनम्नवत् है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ष	कार्य अवधि
1-	श्री कमल प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	10-01-1988 से 26-09-1989 तक
2-	श्री धीर प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	26-09-1989 से 20-04-1990 तक
3-	श्री लाल बहादुर सिंह	अवर निरीक्षक	20-04-1990 से 20-07-1990 तक
4-	श्री तारकेश्वर शरण	अवर निरीक्षक	20-07-1990 से 22-02-1991 तक
5-	श्री लाल प्रसाद सिंह	अवर निरीक्षक	27-02-1991 से 11-08-1992 तक
6-	श्री देव नारायण उरवि	अवर निरीक्षक	11-08-1992 से 28-01-1993 तक
7-	श्री राम नेशा शर्मा	अवर निरीक्षक	30-01-1993 से 13-05-1993 तक
8-	श्री राजेन्द्र मिश्र	अवर निरीक्षक	21-05-1993 से 24-04-1995 तक
9-	श्री चन्द्रमा सिंह	अवर निरीक्षक	24-04-1995 से 01-07-1996 तक
10-	श्री राजेन्द्र प्रसाद साह	अवर निरीक्षक	03-07-1996 से 11-07-1997 तक
11-	श्री राम रामान	अवर निरीक्षक	11-07-1997 से 17-03-1999 तक
12-	श्री रामशरण दादव	अवर निरीक्षक	17-03-1999 से 12-05-2000 तक
13-	श्री विलियम तिरंगा	अवर निरीक्षक	12-05-2000 से 07-11-2001 तक
14-	श्री श्रीकान्त कुमार	अवर निरीक्षक	07-11-2001 से 11-08-2002 तक
15-	श्री आनन्द खिहारी	अवर निरीक्षक	11-08-2002 से अदत्त ।

4- स्थापना :-

रहिका थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमिक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	3	-	1
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	-	-
3-	हवलदार	1	1	-	1
4-	आरक्षी	7	4	3	-
कुल :-		12	10	3	2

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी के तीन पद अभी तक रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त अवर निरीक्षक का एक पद एवं हवलदार का एक पद स्वीकृत बल से अतिरिक्त है। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की तदस्तुत विवरणों निम्नवत है :-

क्रमिक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	आनन्द बिहारी	11-08-2002	रोड नं०-22, प्लॉट नं०-109,
2-	अवर निरीक्षक	अरि टिकी	10-01-2000	श्री कृष्णा नगर, पटना। ग्राम-रघुनाथपुर टुक टोली, थाना- रामडीह, जिला-मुर्शिदाबाद।
3-	अवर निरीक्षक	जगन्नाथ शर्मा	24-10-2001	ग्राम-नरसिंहपुर, पो०-थाना-नुमहरी, जिला-मुजफ्फरपुर।
4-	सहायक अवर निरीक्षक	राजिन्द्र मोआड़	19-02-2001	ग्राम-गहसुआ, थाना-तरारो, जिला- आरा भोजपुर।
5-	सहायक अवर निरीक्षक	वैधनाथ सिंह	27-06-2002	ग्राम-टाटो झरिया, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग।

लगातार...4/-

6-	इकलदार	गणेश सिंह	02-03-2001
7-	साधर आरधी 602	दिलीप कुमार सिंह	14-07-2002
8-	आरधी-511	धर्मराय राय	26-04-2002
9-	आरधी-58	सुशील कुमार मिश्रा	22-08-2002
10-	आरधी-668	अरपाक धान	27-09-2002

5- पूर्व निरीक्षण :-

श्रीम-यारपुर, धाना-वर्दनीबाग, पटना  
श्रीम-धरपुर कोरई, धाना-रजौन,  
जिला-बाँका ।  
श्रीम-भरजुआ, धाना-गौरई, जिला-  
मुजफ्फरपुर ।  
श्रीम-सुरैठा, धाना-जाले, जिला-दरभंगा  
श्रीम-सिलोपराशमी, धाना-सदर दरभंगा,  
जिला-दरभंगा ।

रहिंका धाना का निरीक्षण पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकाियों द्वारा किटा गया है :-  
निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम निरीक्षण की तिथि निरीक्षण दिवसगि  
नाम प्राप्ति की तिथि अनुपालन की तिथि

1-	श्री नरेशा प्रसाद सिंह	अनुमण्डल आउपदाTO, मधुबनी ।	21-12-1996	20-12-1996	01-02-1997
2-	श्री राम लक्ष्म प्रसाद,	आरधी उपोधिक, मधुबनी	01-03-1997	अपु टन	-
3-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरधी निरीधिक, सदर	19-03-1997	20-03-1997	01-05-1997
4-	श्री नाटाव अहतर	आरधी अधोधिक, मधुबनी	03-06-1997	18-07-1997	09-10-1997
5-	श्री दुरससुधार्जु	अनुमण्डल आरधी पदाTO,	28-11-1997	02-12-1997	25-01-1998
6-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आरधी निरीधिक, सदर	12-01-1998	12-01-1998	05-06-1998
7-	श्रीमती प्रीता वर्मा	आरधी अधोधिक, मधुबनी	27-02-1999	17-06-1999	04-02-2002

8-	श्री नरेश प्रसाद सिंह	आरक्षी उपाधीक्षक, मु०, मधुबनी ।	17-03-2002	27-03-2002	11-08-2002
9-	श्री विमलेश प्र० सिंह	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	23-03-2002	23-05-2002	10-08-2002
10-	श्री राघो प्रसाद सिंह	आरक्षी निरीक्षक, सदर	31-10-2002	05-11-2002	20-11-2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 से विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण का व्यौरा उपलब्ध कराया गया है, जबकि यह थाना वर्ष 1977 से ही कार्यरत है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 1996 से पूर्व का निरीक्षण टिप्पणी खोजकर उसका विस्तृत व्यौरा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि इस थाना का किसी भी जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में निरीक्षण नहीं किया गया है। बिहार पुलिस हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब जावित्तियाँ प्राप्त हैं, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है। हर अनुमंडल पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वे अपने अधीन के भीतर सभी थाना का वार्षिक निरीक्षण करें। अतएव, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी को प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पंजी का अवलोकन किया। प्रायः सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी एक ही पंजी में तैयार हुआ है। यह प्रथा ठीक नहीं है। नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग पंजी, रक्षी संचिका, संधारित होना चाहिए एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में तैयार करना चाहिए। साथ ही नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए। यदि अन्तिम अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो तो अन्तरिम अनुपालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन भेजने में देरलम्ब किया गया है। थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करें।

**6- थाना दैनिकी :-**

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-116 के तहत फार्म सं०-15 में थाना दैनिकी संधारित किया जाना है, जो विधिवत इस थाना में संधारित किया गया है। यह दो प्रतियों में तैयार की जाती है। कार्डिन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती लगातार... 6/-

है। आरथी तनवीरुम टारट रथ महीने का धाना दिनकी संघलित कर महीने के अन्तम दिन आरथी उपोषक को अन्तर कार्डरु हेतु भ्रम भी जाती है। धाना दिनकी में हर दो घंटे की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यह कार्य प्रतिदिन 6-00 बजे परदिन से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे परदिन तक अर्थात् 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है। धाना दिनकी में धाना 12 मं जो भी घन्टारं घन्टित होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त धाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हालत में रहा है अथवा नहीं, उक्त तिथि या मौसम कैसा रहा, धाना में किसनी रतियत नगद रूप में है, कोई विशेष नि धाना दिन में आटा अथवा नही, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है। यह रथ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। धाना दिनकी को धाना का दर्जत & Mirror of the Police Station के भी कहा जाता है। धाना दिनकी के भीतम संख्या 13969 के क्रमिक 1396801 से 1396900 तक की अन्वेषन किया। पंजी अन्वेषण से संघारत गक्यात जा रहा है।

**7-फिरारी पंजी :-**

ताहर पुलिस हरतक के नियम-118 के तहत कार्य संख्या-16 में फिरारी पंजी संघारत करना है, जिसे विधिमत संघारत कया गया है। धाना प्रभारी ने बतारा फिरारी पंजी के भाग-1 एवं भाग-11 में कोई फिरारी का नाम दर्ज नहीं है।

**8- रटर्न ऑफ अनरकसपेड वारंट :-**

ताहर पुलिस हरतक के नियम-109 के तहत कार्य संख्या-50 में इस पंजी को संघारत करना है, जो संघारत है। इस पंजी के अनुसार दिनांक 21-11-2002 तक कुल 11 वारंट एवं 9 कुर्की तागमला हेतु लावत है। लावत वारंट/कुर्की की विवरण निम्नवत है :-

पूर्व से लावत		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निरपवादित		कुल लावत	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
49	15	01	0	39	06	11	09

उपर्युक्त अंकडा के अन्वेषन से स्पष्ट होता है कि 11 वारंट एवं 9 कुर्की तागमला हेतु लावत चले आ रहे हैं, जो गम्भीर

विषय है। धाना प्रभारी टारट स्पष्ट नहीं किया गया है लावत वारंट/कुर्की किसे दिनों से लावत हैं। नियमनुसार लावत वारंट/ कुर्की का तागमला/निरपवादित रक सप्लाई के अन्तर किया जाना चाहिए। आरथी उपोषक मुख्यालय, मधुबनी को निर्देश दिया

जाता है कि वे इसकी छानबीन कर रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट/कुर्की का तामिलना/निरुपादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की की विवरणों निम्नवत है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वारंट	कुर्की
1-	श्री आनन्द त्रिहारी	अवर निरीक्षक	0	3
2-	श्री आर्थर टिडकी	अवर निरीक्षक	8	4
3-	श्री जगन्नाथ शर्मा	अवर निरीक्षक	1	0
4-	श्री राजेन्द्र मोआड़	सहायक अंफिनरीओ	2	2
5-	श्री बीएसओ सिंह	सहायक अंफिनरीओ	0	0
			कुल :-	9

**9- राजस्टार ऑफ आर्म्स लाइसेंस :-**

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत धर्म संबंधित-25 में यह पंजी संघारित है। इस पंजी का अवलोकन किया गया। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 13-11-2002 को जिला शस्त्र पंजी से मिलान किया गया है। शस्त्र अधिनियम -46 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से करना है, जो किटा जा रहा है।

इस धाना में कुल 25 शस्त्र अनुरागत है, जिसकी विवरणों निम्नप्रकार है :-

शुक्र	एसओबीओबीओएसओ	-	01
शुक्र	डीओबीओबीओएसओ	-	23
शुक्र	फिरवाल्सर	-	0
शुक्र	राईफल	-	01
			25

लजातार... 8/-

10-टाउनत पंजी :-

बिहार पुलिस दस्तक के भीलूम-1। के नियम-239 र फार्म संख्या-43 र. में यह पंजी संधारित किया जाना है, जो विधिवत संधारित है। धाना प्रभारी ने बताया कि धाना परिसर में ही एक छोटा सा टाउन बना हुआ है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। धाना प्रभारी द्वारा इस पंजी का संधारण किया जा रहा है। धाना प्रभारी ने बताया कि इस पंजी में धाने में गिरफ्तार कर लये गये व्यक्तियों का नाम, तिथि एवं न्यायालय अगुसाराण एवं जमानत पर मुक्त करने का उल्लेख किया जाता है। यह पंजी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, काल्प खाली छोड़ दिये जाते हैं, तथा यदि संयोगवत् बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो श्सी स्थिति में यह माना जाया कि धाना प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। इस पंजी का महत्वपूर्ण उस समय और भी बढ़ जाता है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिकेदन की मांग की जाती है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करें एवं पंजी अद्यतन रहें।

11- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस दस्तक के नियम 325 के तहत फार्म संख्या-67 में यह पंजी संधारित करना है, जो संधारित है। धाना प्रभारी ने बताया कि इस धाना-तर्जित कोई नाराज जमा खत नहीं है।

12- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस दस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या-3। र. में इस पंजी का संधारण किया जाना है, जो विधिवत संधारित है। धाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष अभी तक कुल 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जनवरी में 2, फरवरी में 3, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 8, जुलाई में 7, अगस्त में 2, सितम्बर में 10, अक्टूबर में 9 एवं नवम्बर में 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधिवत-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है।

13- तहसी नं०-1 :-

बिहार आरक्षी दस्तक के नियम 76 के तहत तहसिलों को संधारित करना है। तहसी नं०-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित नगाना... 9/-

होती है। तखतीका अवलोकन किया गया। इसका अन्तिम मिलान आरक्षी केन्द्र, बधुखनी से दिनांक 18-11-2002 को किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तखती है, इसका संधारण सही ढंग से करने का निर्देश थाणा प्रभारी को दिया गया।

14- तखती नं0-2 :-

थाणा में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारी एवं कर्मियों का नाम, पता, वेतनमान, पूर्व पदस्थापन स्थान एवं इस थाणा में पदस्थापन की तिथि इस तखती में अंकित रहती है।

15- तखती नं0-3 :-

इस तखती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञापित प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है। थाणा प्रभारी द्वारा बताया कि कि इस थानान्तर्गत विस्फोटक अनुज्ञापित-प्राप्त भंडार का कोई मामला नहीं है।

16- तखती नं0-4 :-

इस तखती में आयुध, गोला बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है। थाणा प्रभारी ने बताया कि इस थाणा क्षेत्र में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भंडार नहीं है।

17- तखती नं0-5 :-

इस तखती में विषय अधिनियम के अधीन अनुज्ञापित प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है। थाणा प्रभारी ने बताया कि इस थाणा क्षेत्र में विषय अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापित प्राप्त कोई दूकान नहीं है।

18- तखती नं0-6 :-

इस तखती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञापित प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है। तखती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाणा क्षेत्रान्तर्गत तीन अनुज्ञापित प्राप्त देशी एवं विदेशी शराब की दूकान है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुज्ञापितधारी का नाम/पता	अनुज्ञापित संख्या	दूकान का प्रकार	दूकान का स्थान
1-	श्री बापुन्दर महतो पेटो रामवरुण महतो, 810-सीतामढ़ी, गो. शांती रोड, सीतामढ़ी	608-6/2002-03	विदेशी शराब	श्री. मुन्ना के. बान में पेटो. पत्र के ताराने। बराबर.... 10/-

- 2- श्री राजीव कुमार सिंह पेटो उपेन्द्र नाथ सिंह 66ए-12/2002-03 देशी शाराब श्री पवन कुमार झा के मकान इन्साफ चौक, रहिका
- 3- श्री विन्देश्वर प्रसाद पेटो स्वो हरि प्रसाद, पुरानी चट्टी वार्ड नं०- 5, मधुबनी । 66ए-30/2002-03 देशी शाराब श्री हेमानन्द झा, सा-बसौली

19- तखती नं०-7:-

इस तखती में लंघित अन्वेषण काण्डों, विशेष एवं अविशेषों की विवरणी अंकित की जाती है । तखती के अनुसार लंघित विशेष काण्डों की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	बि०प्र०सि०	काण्ड संख्या/वर्ष	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्ता का नाम	लंघित का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1-	384/99	273/99	30-10-99	302/201 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अदेशा हेतु ।
2-	451/02	251/02	05-08-02	304 बी./201/34 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अनुसंधान में ।
3-	547/02	283/02	04-09-02	406/420/34 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अनुसंधान में ।
4-	548/02	284/02	04-09-02	341/342/323/379/ 284/504/34 भा०द०वि० स्व 3/10 अ०जाति अत्याचार अधिनियम	अ०नि० आनन्द बिहारी	गिरफ्तारी हेतु ।
5-		328/02	11-10-02	420 भा०द०वि०	अ०नि० आनन्द बिहारी	अनुसंधान में ।
6-	661/99	334/99	18-11-99	379 भा०द०वि० स्व 39 वि०अ०	अ०नि० ए० टिकी	अदेशा हेतु ।
7-	554/02	292/02	07-09-02	341/323/379/498/ भा०द०वि०, 3/4 दहेज अत्याचार ।	अ०नि० ए० टिकी	गिरफ्तारी हेतु ।
8-	660/99	332/99	18-12-99	379 भा०द०वि० तथा 39 वि० अधि०	स०अ०नि० बी०एस०सिंह	न्यायालय से कुरी प्राप्त कराने हेतु ।
9-	391/02	211/02	07-10-02	366ए/323/504/120 बी. भा०द०वि०	स०अ०नि० बी०एस०सिंह	अदेशा हेतु ।
10-	430/02	230/02	20-07-02	364/34 भा०द०वि०	स०अ०नि० बी०एस०सिंह	अदेशा हेतु ।

लगातार... 11/-

:: 11 ::

11-	101/02	09-04-02	448/427/504/323/ 379 भट्टदोर्वो तथा 36108 अनज्जित्त अत्थोत्तथापनियम ।	सओफिनो बिल्डरसोसिडे सओफिनो रजिन्नु मौअर अदेश T हेतु ।	
12-	499/02	267/02	24-08-02	363/363र/364/379 भट्टदोर्वो	सओफिनो रजिन्नु मौअर अनुसंधान मं ।
13-	552/02	287/02	07-09-02	364/64/379/504/ 34 भट्टदोर्वो	सओफिनो रजिन्नु मौअर अनुसंधान मं ।
14-	345/01	135/01	22-05-01	366र/380 भट्टदोर्वो	अदेश T हेतु ।
इसी प्रकार लंबित अधिवीष काण्डों की रिथात भी नम्यप्रकार है :-					
1-	6/1996	09-01-1996	279/304 र. भट्ट दोर्वो	अओफिनो रमनांकर सिंह प्रभार हेतु ।	
2-	58/02	27-02-2001	तैद्व	अओफिनो रजिन्नु गाडी जप्त करने हेतु	
3-	179/02	21-06-02	147/148/323/ 504/584/436/ 457/354 भट्टदो र्वो ।	अओफिनो रजिन्नु अदेश T हेतु ।	
4-	182/02	23-06-02	147/148/452/342/अओफिनो रजिन्नु 307/380/436 भट्टदोर्वो	अदेश T हेतु ।	
5-	198/02	04-07-02	341/323/379/504/अओफिनो रजिन्नु 34 भट्टदोर्वो	अदेश T हेतु ।	
6-	144/02	24-05-02	448/380/120 बी. अओफिनो रजिन्नु भट्टदोर्वो	तैद्व ।	
7-	201/02	05-07-02	147/148/384/ 323/379/357	सओफिनो रजिन्नु मौअर फिरमतारी हेतु ।	
8-	61/01	08-03-2001	279/337 भट्टदोर्वो	सओफिनो रजिन्नु मौअर अदेश T हेतु ।	
9-	158/02	04-06-2002	379/337 भट्टदोर्वो	सओफिनो रजिन्नु मौअर अदेश T हेतु ।	
10-	333/02	14-10-2002	279/338/30र भट्टदोर्वो	सओफिनो रजिन्नु मौअर अदेश T हेतु ।	

11-

265/98

13-09-1998

341/323/379/504  
भा0द0चि0

स0अ0नि0 राजेन्द्र मोअर

अंचल के द्वारा मापी  
हेतु ।

उपर्युक्त ऑक्डा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लंबित विशेष काण्डों में तीन काण्ड वर्ष 1999 से अविशेष काण्डों में दो मामला क्रमशः 1996 एवं 1998 से लंबित चला आ रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लावत सभी मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन भ्रमना सुनिश्चित करें ।

20- तखती नं0-8 :-

इस तखती में जूआ, गेसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गोतंग एवं जूआ का कोई अड्डा नहीं है ।

21- तखती नं0-9 :-

थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाजार और मेले की सूचना इस तखती में अंकित की जाती है । तखती अतन है । हाट-बाजार, मेला आदि लगने का स्थान एवं दिन निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	स्थान का नाम	लगने के दिन
1	2	3
1-	कपिलेश्वर स्थान	बुधवार एवं शनिवार
2-	बसौली	सोमवार एवं गुरुवार
3-	रहिका	मंगलवार एवं शुक्रवार
4-	चन्द्रसेनपुर	शनिवार एवं बुधवार

22- तखती नं0-10 :-

इस तखती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद का नाम अंकित किया गया है । तखती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तखती में दर्ज सूचना अधूरी है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त सूची में उप प्रमुख, पार्श्वों,

लगातार... 13/-

धाना क्षेत्र के विधायक/संसद का भी नाम अंकित करें।

23- तहसी नं०-11 :-

इस तहसी में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों एवं आरक्षी धानों की सूची रहती है जिन्हें टाक-टाक सूचना भनी जाती है। तहसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को एक भी पत्र नहीं भेजा गया है। क्या धाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई पत्र नहीं भेजा जाता है? धानाप्रभारी स्थिति स्पष्ट करें।

24- तहसी नं०-12 :-

इस तहसी में दानो व्यक्तियों की सूची रही जाती है। इस तहसी के अनुसार इस धाना में कुल दानियों की संख्या 14 है, जिसकी विवरणों श्रेणीवार निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	दानो संख्या	नाम/पिता का नाम	पता/सर्कल नं०
1-	र/281	नाराकान्त डा. पी० नगर डा. 1	रामनगर-1
2-	र/302	विनोद यादव पी० श्री देव दादव	सदात-111
3-	र/303	पी० सुन्ना पी० जूबर	सदात-11
4-	र/304	नन्दलाल सहनी पी० बद्री सहनी	सदात-11
5-	र/305	जगमोहन डा. पी० लक्ष्मीकान्त डा.	डाडर-111
6-	र/306	रत्न सहनी पी० राभी सहनी	खरा-11
7-	बी/87	किरजुन देव साह उर्फ फौजो पी० चन्द्रमौली साह।	राहका-1
8-	र/12	विनयचन्द्र डा. पी० गुम्बर डा.	सदात-111
9-	र/16	जिबल लाल यादव पी० परमेश्वरदादव	सदात-111
10-	र/296	गुल्लुडाई राम पी० ठीठर राम	पोखरौनी-111
11-	र/299	जगदीश केवट पी० ठकन केवट	माबर-111
12-	सी/39	जयलाल दुसाध पी० गुल्लुडाई दुसाध	जिखारपुर-11

13- ए/158  
14- बी/85

राजगीर मंडल पे० युगेश्वर मंडल बलाट-गा  
रालेन्द्र मंडल उर्फ लंगडा पे० जगदेव मंडल सलखटा-गा

धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी दांगियों के ऊपर कड़ी नगरानी रखें। हो सकता है कि उपर्युक्त दांगियों में से कुछ को मृत्यु भी हो गयी हो, फलस्वरूप उसकी छानबीन कर लक्ष्मी से नाम हटाने का प्रस्ताव उचित माध्यम से आरथी अधीक्षक को भेजा सुनिश्चित करें।

25- लक्ष्मी नं०-13 :-

इस लक्ष्मी में सीमावर्ती धाना के सक्रिय अपराधियों को सूची रखी जाती है। सूची के अनुसार सीमावर्ती धाना क्रमशः अरेर धाना का 12, कलुआही धाना का 5, रैयाम धाना का 8, नगर धाना, मधुखनी का 4 एवं केवटी दरभंगा का 9 सक्रिय अपराधी अर्थात् कुल 38 अड़तीस सज्ज्य अपराधी हैं। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी सक्रिय अपराधियों के ऊपर कड़ी नगरानी रखें।

26- लक्ष्मी नं०-14 :-

इस लक्ष्मी में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है। लक्ष्मी का अवलोकन किया गया। लक्ष्मी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस धाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। धाना प्रभारी स्पष्ट करें कि क्या इस धाना से अधोदस्ताधारी को अर्थात् अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, जबकि जिला स्तर पर आयोजित "जनता दरवार" में बहुते से मामले धाने से भी संबंधित होता है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

27- लक्ष्मी नं०-15 :-

इस लक्ष्मी में धाना का मानचित्र रखा जाता है। मानचित्र संधारित है। विद्वार आरथी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरासिमयी अस्तर वाला एक छपा हुआ, धाना मानचित्र टंगा रहेगा, जिस पर भिदरू में

आरक्षी की दूकाने, सार्वजनिक घाट, चौकीदारो यूनिशन की सीमाएँ, सीमावर्ती आरक्षी थानों का चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे। किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी दस्तक के नियम 31 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

28- तखती नं०-16 :-

इस तखती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं०, गाँवों की संख्या, आबादी, धनफल रखी जाती है, जो संधारित नहीं है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से सभी सूचनाएँ प्राप्त कर तखती में चिपकाना सुनिश्चित करें।

29- सब इन्स्पेक्टर नोटबुक :-

बिहार पुलिस दस्तक के नियम 357 के तहत पार्म संख्या-75 बी. में सब इन्स्पेक्टर नोट बुक संधारित करना है। थानाप्रभारी द्वारा इसे संधारित तो किया गया है, परन्तु इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। थानाप्रभारी को इसे अपने हाथ से लिखना है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार विधिमत विहित प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें एवं त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन भेजें।

30- छातियान इन्स्पेक्शन रजिस्टर-पार्ट-1 :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है। इसमें 68 कॉलम हैं एवं अद्यतन है। यह आरक्षी निरीक्षक द्वारा गल्टा जाता है। इस पंजी में केस के मामले के संबंध में जानकारी मिलती है।

31- छातियान इन्स्पेक्शन रजिस्टर-पार्ट-11 :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है एवं पंजी वर्ष 2001 का ही बना हुआ है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिसम्बर माह में नई पंजी का संधारण किया जायगा। इसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्ता का नाम, आभलेख का तनख्वादा न किस्त वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है। आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में विस्तृत विवरणों एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लगातार....16/-

32- ती0डी0 पार्ट-1 :-

इसमें दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है। इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 14 दागी हैं, जिनका थाना प्रभारी द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। पंजी सही ढंग से संधारित है।

33- ती0डी0पार्ट-11 :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है। इस पंजी का अवलोकन किया। पंजी में क्रमांक-933 तक लिखा गया है। 932 में काण्ड संख्या 187/02 दिनांक 25-6-2002 धारा 379/4। भा0द0वि0 में साईकिल चोर का नाम मो0 इम्तियाज पे0 मो0 केस, सा0-थाना-औंसी, जिला-मधुबनी का नाम लाल स्याही से दर्ज है तथा इसमें अल्फावेट इन्डेक्स का नम्बर भी अंकित है।

34- ती0डी0पार्ट-111 :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है। इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, सामुदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियों वर्धवार अंकित की जाती है। पंजी अद्यतन संधारित है।

35- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है। इस पंजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर ती0डी0पार्ट-11 से जानकारी ली जाती है। इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त है। यह पंजी ती0डी0पार्ट-11 में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनायी गयी है। थानाप्रभारी ने बताया कि चरित्र सत्यापन से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

36- अप्राथमिकी पंजी :-

यह पंजी विहित इस थाना में संधारित किया गया है। विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी अॉकड़ा निम्नवत है :-  
लगातार... 17/-

सं.सं.	107/116	109/110	144/145	133 सं.सं.	182/211	198	186	290 सं.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997	92	-	18	-	1	1	-	-
1998	93	-	12	1	4	1	-	-
1999	143	-	17	-	6	-	-	-
2000	126	-	09	-	3	-	-	-
2001	130	-	12	-	3	1	-	-
2002	109	-	10	-	5	5	-	-

23-11-02 तक

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में निरीक्षण की तिथि तक 107/116 में 109, 144/145 में 10, 182/211 में 5 एवं 188 में 5 व्यक्तिके विरुद्ध अपराधिकी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है। 109/110, 133, 186 एवं 290 में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारों को जानकारी की कमी है। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि इसका संयोजन कैसे किया जाय, की जानकारी थानाप्रभारों को उपलब्ध करा दें। थाना प्रभारों को यह भी निर्देश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारियों के यहाँ से जो नोटिस आता है, उसके तुरंत अनग से एक पंजी का संयोजन सुनिश्चित करें।

37- प्राथमिकी पंजी :-

थानाप्रभारों द्वारा बताया गया कि वृत्तिक प्राथमिकी नगर थाना, मधुबनी में दर्ज किया जाता है, फलस्वरूप प्राथमिकी की जायगी इस थाना में रही जाती है। दिनांक 24-11-2002 तक कुल दर्जप्राथमिकी की संख्या 107 है। थाना प्रभारों ने बताया कि प्राथमिकी पंजी 13 कॉलम में संयोजित किया जाता है एवं पंच प्रतिधियों में तैयार किया जाता है। दर्ज प्राथमिकी कीपहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक को, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारियों को, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पंचवां प्रति थाना में रही जाती है। थाना प्रभारों ने बताया कि भूल आवेदन-पत्र/फर्दबयान अर्थात् निरीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु भेजा जाता है। वृत्तिक थानाको प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है तो उसे लगातार... 18/-

प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । शिकायत करने आये व्यक्ति की बात पूरी तन्मयता से सुनकर, प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए । थानाप्रभारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

38- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संघारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नवत है :-

वर्ष	सर्प दंश से	जहर छाने से	पानी में डुबने से	आग से	फॉसी से	विविध	योग
1997	-	-	2	-	-	-	2
1998	-	-	3	-	-	4	7
1999	-	-	2	-	-	-	2
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	1	-	-	2	3
2002	-	-	1	2	-	-	3
23-11-2002 तक							

लंघित अप्राकृतिक मृत्यु के काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	यूडीओकाण्ड संख्या	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंघित का कारण
1-	1/98	स०अ०नि० बी०एन०सिंह	भेसरा जॉच हेतु ।
2-	3/98	अ०नि० ए० टिकी	भेसरा जॉच हेतु ।
3-	2/99	स०अ०नि० बी०एन०सिंह	भेसरा जॉच हेतु ।
4-	5/99	स०अ०नि० आर० मोआर	भेसरा जॉच हेतु ।
5-	2/01	स०अ०नि० बी०एन०सिंह	भेसरा जॉच हेतु ।
6-	2/02	स०अ०नि० आर० मोआर	भेसरा जॉच हेतु ।
7-	3/02	स०अ०नि० ए० टिकी	भेसरा जॉच हेतु ।

उपर्युक्त आँकड़ा के अन्वय से स्पष्ट होता है कि बहुत से मामले काफी लम्बी अवधि से लंघित चले आ रहे हैं । थानाप्रभारी को

लगातार.... 19/-

निर्देश दिया जाता है कि लंघित काण्डों को अक्लिम्ब निष्पादन कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें।  
39- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी इसथाना में संधारित है। थाना प्रभारों ने बताया कि यह पंजी वर्ष 1997 से संधारित है। पंजी का अक्लोकन किया गया। पंजी के अक्लोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 21-11-2002 को सनहा संख्या 1586 तमब 16-00 बजे में सजअनिउ बीअनअसिंह, रडिका अस्पताल से जखमी गोपाल कांत मिश्र पेउ भाउदअविउ विल्द अनुपलाल पासवान पेउ त्वउ जखलाल पासवान, साउ-जगत, थाना-रडिका, जिला-मधुबना का फर्दब्यान लाया गया जिसके आधार पर काण्ड धारा 341/323/324/379/504 भाउदअविउ विल्द अनुपलाल पासवान पेउ त्वउ जखलाल पासवान, साउ-जगत, थाना-रडिका, जिला-मधुबना के काण्ड दर्ज किया गया है। इस काण्ड का अनुसंधान सजअनिउ बीअनअसिंह कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरवार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारों द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें स्मूचित मदद नहीं की जाती है। विदित हो कि रडिका थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचना मिलती रहती है। अतएव, थाना प्रभारों इस पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सखती से लागू कराना सुनिश्चित करें।

40- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 598क४ के तहत फार्म संख्या 6ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। परन्तु विभिन्न थानों के निराक्षण के क्रम में पाया गया है कि आरक्षा निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है, जो विन्ताजनक है। नियम 598क४ में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6ए. में नित्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जायगा, उन केशों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं। आरक्षा निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारियों तथा अनुमण्डल आरक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला नजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रतारित करेंगे। आरक्षी निरीक्षक, सदर, मधुबना को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारियों, सदर मधुबना को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

41- डकी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संघारित है एवं अद्यतन है ।

42- लूट पंजी :-

इस धाना में सादे पंजी में इसे संघारित किया जा रहा है । सभी कागजों की संश्लिप्त विवरणों इस पंजी में अंकित की जाती है ।

43- गुण्डा पंजी :-

बिहार पुलिस इत्तक के नियम 1316कख के अनुसार अपराध शैली के अनुसार 14 प्रकार के गुण्डों का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :- 101 & 102 दारारवा 103 दवाब डालकर पैसा छेड़ने वाले 104 मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले 105 नद्वीलों के साथ अश्रु व्यवहार करने वाले 106 काला बाजार करने वाले 107 दंगाई 108 मुकद्देबाज 109 तोड़-फोड़ करने वाले 110 श्रुदायवादी 111 छात्रों को भड़काने वाले 112 स्थियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले 113 जुआड़ी 114 छीन्छोर करने वाले 115 रेलगाड़ियों और बसों पर बध्माशत करने वाले । धानाप्रभारत ने बताया कि सभी किस्म के गुण्डा की सेवा वर्गीकरण के अनुसार बनायी गया है ।

44- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षक इत्तक के नियम 308 के तहत फार्म -51 में मालखाना पंजी संघारित किया जाना है । यह पंजी विहित प्रपत्र में संघारित है । इस पंजी में लावारिस सामान, जप्त सम्पत्ति, कुर्फी से प्राप्त सम्पत्ति एवं अपराधिक विधायकों में प्रदर्श के रूप में भी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । मालखानापंजी के अनुसार वर्ष 1991 से 2002 124-11-2002 तक प्रदर्श के रूप में 98, कुर्फी का 37 एवं लावारिस का 6 मद मालखाना में जमा है । मालखाना पंजी के अकीकन से स्पष्ट होता है कि मालखाना में रखा गई सम्पत्तियों के निर्यादन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत से कागजों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । निर्यात के क्रम में धानापरिसर में एक पुराना "ओटी" पाया गया । धाना प्रभारत को निर्देश दिया जाता है कि इसके निस्तार हेतु अतिरिक्त कार्रवाई किया जाय ।

45- मालखाना रिसीट भाउवर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउवर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री प्रदर्शित मालखाना से मुक्त किया जाता है, जप्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेट्ट कर रयी जाती है। यह पंजी दो भागों में संघारित की जाती है।  
यानुभाषी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण सही ढंग से करना सुनिश्चित करें।

46- अनुभाषी पंजी :-

इस धाना में कितने तरह को पंजिया अथवा संविकारें संघारित का गई है, उक्त अनुभाषी पंजी नहीं बनाई गई है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुभाषी पंजी तैयार कर धाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संविकारों को संघारित करते हुए अनुभाषन प्रतिवेदन भेजें। अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रथम विकास पदाधिकारी/अंका अधिकारी से भी मार्ग निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

47- अपराध आंकड़ा :-

राष्ट्रिका धाना अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अपराध आंकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	झूठी	लूट	गृहभेदन	चोरि	दंगा
1997	-	3	2	2	5	9
1998	3	1	4	4	14	11
1999	2	2	-	1	3	4
2000	4	3	2	6	4	2
2001	3	1	2	3	2	2
2002	1	1	0	1	3	10
24-11-2002 तक						

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भाषा हत्या एवं लूट की घटना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अपराध

श्री एटना में वृद्धि हुई है। इसके रोकथाम के लिए कारणर कदम उठाने की आवश्यकता है। धाना प्रभारों को निर्देशा दिया जाता है कि स्वतः अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करें। आरक्षी उत्पाधीक्षक मुख्यालय, मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक, सदर मधुबनी को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

48- पत्राचार :-

बिहार पुलिस दफ्तर के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ. में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119अ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें §1१ न्यायालय से संबंधित §2१ विभाग से संबंधित §3१ सामावर्ती धानासे संबंधित एवं §न१ आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है। धाना प्रभारों ने बताया कि इस धाना में साक्षर आरक्षी द्वारा इसका संधारण किया जाता है। धाना प्रभारों को निर्देशा दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमांशुसार सहायक से संधारित करना सुनिश्चित करें क्योंकि पत्राचार किसी भी कार्यालय का महत्वपूर्ण अंग होता है।

49- रोकड़ पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में इसधाना में संधारित किया गया है। यह दो भागों में लिखा जाता है। भाग-1 में कैदी भोजन मद का लेखा-जोखा लिखा जाता है। इस मद में माह-नवम्बर, 2002 में 2550/- रुपये फीज हैं। भाग-11 में पदाधिकार/कार्मियों का वेतन भुगतान एवं अन्य प्रकार के भुगतान का लेखा-जोखा लिखा जाता है। इस मद में फीज राशि शून्य है।

50- कॉन्सिडरुल मोट बुक :-

बिहार पुलिस दफ्तर के नियम 89१ब. १ के तहत कॉन्सिडरुल नोटबुक विधिवत संधारित किया जाना है, जो इस धाना में संधारित किया जा रहा है। धानाप्रभारों ने बताया कि सभी कॉन्सिडरुल द्वारा यह नोट संधारित किया जाता है एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है।

51- फीट पैरेड :-

निराक्षरता के क्रम में फीट पैरेड का मा. निरीक्षण किया गया। फीट पैरेड के निरीक्षण के क्रम में सुराज कुमार मिश्र ने बताया कि कन्वल की कमी है। श्रीदिलीप कुमार सिंह ने बताया उन्हें मच्छरदाना की कमी है। आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से जुरोरीय है कि

कोट पैरेड के आरक्षियों को वॉडित सामग्रियों उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

52- चौकीदारों पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी कासंधारण किया जाना है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है , जिसमें चौकीदारों की उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति लाल स्वाही से इटालियन में लिखा जाता है । चौकीदार/दफादारों के स्वाकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	दफादार	3	3	-	-
2-	चौकीदार	35	33	2	-

उपर्युक्त तालिका के अक्लोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार एवं चौकीदार के स्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र दो पद चौकीदार का रिक्ति है । धानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि रिक्ति दो पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु चौकीदार का नाम नियमानुसार उचित माध्यम से अधीनस्ताक्षरों को भेजना सुनिश्चित करें । स्वाकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्णपिता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	महाल एवं बीट संख्या	नाम/पिता का नाम	ग्राम का पता
1-	दफादार सर्किल नं०-1	विनोद झा पे० स्व० अनुसुद्ध झा	रहिका
2-	दफादार सर्किल नं०-11	राजेन्द्र सिंह पे० चन्देश्वरसिंह	झुरी
3-	दफादार सर्किल नं०-111	रामवृक्ष पाण्डेय पे० स्व० राम परीक्षण पाण्डेय ।	नाजीरपुर
4-	चौकीदार 1/1	ब्लिट मंडल पे० स्व० दुलारचन्द्र मंडल	सीमा
5-	चौकीदार 1/2	पेदी पासवान पे० स्व० बुल्हाई पासवान ।	सतलखा
6-	चौकीदार 1/3	राम प्रसाद यादव पे० जगदेव यादव	छरौआ

लगातार..... 24/-

7-	वौकीदार 1/4
8-	वौकीदार 1/5
9-	वौकीदार 1/6
10-	वौकीदार 1/7
11-	वौकीदार 1/8
12-	वौकीदार 1/9
13-	वौकीदार 1/10
14-	वौकीदार 1/11
15-	वौकीदार 11/2
16-	वौकीदार 11/3
17-	वौकीदार 11/4
18-	वौकीदार 11/5
19-	वौकीदार 11/6
20-	वौकीदार 11/7
21-	वौकीदार 11/8
22-	वौकीदार 11/9
23-	वौकीदार 11/10
24-	वौकीदार 11/11
25-	वौकीदार 11/12
26-	वौकीदार 111/1
27-	वौकीदार 111/2
28-	वौकीदार 111/3
29-	वौकीदार 111/4
30-	वौकीदार 111/5
31-	वौकीदार 111/6
32-	वौकीदार 111/7
33-	वौकीदार 111/9
34-	वौकीदार 111/10

मोती पासवान पे० राम खेलावन पासवान  
 नन्द कामत पे० स्व० सोमन कामत  
 मोहन यादव पे० स्व० अमृत यादव  
 बहादुर पासवान पे० माछन पासवान  
 क्लिप मंडल पे० स्व० जगदेव मंडल  
 विन्देश्वरपासवान पे० स्व० गंगाई पासवान  
 कारी पासवान पे० स्व० दुलारचन्द्र पासवान  
 हीरालाल पासवान पे० स्व० भुनेश्वर पासवान  
 जिराई खतवे पे० स्व० जलेश्वर खतवे  
 मोहन पासवान पे० किशुन पासवान  
 उत्तम पासवान पे० स्व० खोखाई पासवान  
 छट्टु पासवान पे० स्व० दूरिका पासवान  
 सगुन लाल पासवान पे० स्व० भोला पासवान  
 मो० कासीम पे० स्व० अब्दुल हकीम  
 किमुन सहनी पे० स्व० पुरण सहनी  
 मिश्री पासवान पे० कारी पासवान  
 जीवन पासवान पे० स्व० मुनेश्वर पासवान  
 अवधेश दास पे० अगहनु दास  
 राम प्रसाद दास पे० सुकन दास  
 अयोधी पासवान पे० स्व० छड़ी पासवान  
 राम प्रसाद पासवान पे० पुलकित पासवान  
 माधुरी कामत पे० स्व० बजरंगी कामत  
 राजगीर मंडल पे० स्व० सिद्धेश्वरमंडल  
 हकरन पासवान पे० स्व० उधन पासवान  
 दुलार पासवान पे० स्व० दुखहरण पासवान  
 रौदी पासवान पे० मिदतु पासवान  
 चन्देश्वर पासवान पे० मिश्री पासवान  
 शिवनन्दन पासवान पे० स्व० बंगाली पासवान

लकसार सतलठा  
 रहिका  
 रहिका  
 रहिका असरतपुर  
 जरोखर  
 ककरौल  
 चन्द्रसैनपुर ,रखवास टोली  
 कमलपुर  
 डुबरी  
 पट्टीजगर  
 मलंगिया  
 खौआ  
 मलंगिया  
 झररा  
 झररा सतधरा  
 सुगौना  
 बसौली, सुगौना  
 बसौली  
 ब्लाट  
 नाजीरपुर  
 धनुषी  
 सौराठ  
 पोखरौनी  
 माकर  
 श्रीचन्द्रपुर  
 जितवारपुर  
 बहरवन  
 कने टोला, शिवचन्द्रपुर  
 लगातार.... 25/-

35- चौकीदार 111/11  
36- चौकीदार 12/12

उत्तम पासवान रोस्तो अंगली पासवान  
शोहन पासवान 10 रसो महजन पासवान

तामठौली  
धनेपुर महल सपता अंगूर धान  
अंगूर प्रतिक

53- चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

चौकीदार डिसपोजीशन पंजी वाहत प्रश्न में संघारत है एवं उद्धृत है ।

54- सम्मान गार्ड :-

अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नलिखित सम्मान गार्ड क्वाथद द्वारा सलामी दी गयी । सभी आरक्षियों को

दले आउट अछटा रहटा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार पुरस्कृत करना  
चाहिये ।

- 1- हवलदार राम सुन्दर राम
- 2- आरक्षी-836 सुरेन्द्र यादव
- 3- आरक्षी-811 अब्दुल लाल दादव
- 4- आरक्षी-757 उदय शंकर सिंह
- 5- आरक्षी-470 प्रमोद कुमार

55- धाना प्रभारी के कर्तव्य :-

धाना प्रभारी से उनके कर्तव्य के बारे में पूछने पर संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया गया । फिर भी विशेष जनकारियों हेतु फिहर  
पुलिस्त हस्तक के नियम 61/क में धानाप्रभारी का क्या कर्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

- 1- कार्य अधीन वास्तवियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।
- 2- अथवा अथवा और अथवा, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से संधारण और जावतन्दा ब्यौर पाना ।
- 3- अथवा अथवा निर्देशिका तथा निगरानी आदेशों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
- 4- अथवा अथवा तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी रखना ।

15. सघन गश्त की व्यवस्था करना ।

16. अपजोदिका के केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।

17. सीमावर्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ बिहार पुलिस हस्तक में दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन सततसे करें ।

56- अन्योन्य :-

1. जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी० पी० द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्ता की डायरी के अभाव में बहुत तारे मामलों में सबूत का सम्मन करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि ग्याह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजे तथा केस डायरी की मांग किये जाने पर सतमय/उपलब्ध करायेंगे ।

2. 20पी०पी० द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में काण्डों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थाना प्रभारी, लॉकअप काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

3. नालाम-पत्र वादों में निर्गत डी०डब्लू० एवं बी० डब्लू० का सतती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके । थाना प्रभारी से पूछने पर कि नालाम-पत्र वाद का कोई मामला तामिला हेतु लॉकअप हैं अथवा नहीं, के संबंध में बताया गया कि कुछ मामले लॉकअप हैं । थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि नालाम-पत्र से संबंधित जो भी मामला है, उसकी सूची बनाकर यदि कालबाधित हो रहा हो, तो उसे रीभलीडेट कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

4. भूमि गंववाद/नालाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदार को माह में एक बार अंवल अधिकारी के पास अवश्य भेजे ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राजा की वसूली की जा सके ।

5. गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखी एवं उनके साथ सहृदयता से देखा जाये ।

। खे भूमि विवाद का रथायी समाधान निकालें । अतिरिक्त हटाने/जाति रखतथा कायम करने में प्रेड तकत  
: एदाधिकारी/अवल आधिकारी है समन्वय रथायत कर, तनयनित सम्बन्ध कर अधिष्ठा सहयोग दें ।

। खे चौकीदारों परेड का तनरीष्ठा के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, अतन्माजिक  
तन्वीं के बारे में एवं अन्य मातादयि के संबंध में धाना को तनरिचत रूप से तूनना दें । साथ ही नीलम-पत्र ददि में सान्तिह  
रारा की वसुली में अवल जाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

57- निरुक्ति :-

कुल मिलकर इस धाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । धाना प्रभारी श्री अनन्द विहारी, एक नोयन  
एवं चुरत-दुरुस्त पदाधिकारी है । यद्यपि श्री विहारी इस धाना के लिए नये पदाधिकारी हैं, फिर भी नई बाली को तीक्ष्ण की  
प्रवृत्ति है । धाना प्रभारी का निर्देश दिया जाता है कि तनरीष्ठा के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-समय पर  
अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोदरताक्षरी को भजना सुनिश्चित करें । साथ ही धाना में स्थित सभी पंजियों में पृष्ठों का सत्पापन  
पंजों के प्रथम पन्ने में अवश्य करें ताकि पारदर्शित बनी रहे । यदि इस निरीष्ठा के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-  
समय पर अन्दर किया जाता है, तो धाना के कार्त्तिकलाप में और भी गुणात्मक गुण आ सकता है ।

ह/- १510बी0रानिन्दर  
धिली पदाधिकारी,  
मधुबनी ।